

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

- कार्यालय ड्राफ्ट -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली यादवमिल औद्योगिक इन्स्टीट्यूट द्वारा हेतुक सत्र 2020-21 हेतु दिल्लीवा सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अन्ततः प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के सम्बद्धता की सम्बद्धता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पर्यवेक्षण/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्ततः पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध-3 में दिल्लीवा इन कार्मेली यादवमिल संघालित करने वाली पूर्ण को सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नोक्त निर्णय लिया गया -

"निली क्षेत्र में स्वतंत्रता विस्तारमा इन कार्मेली यादवमिल संघालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरी/आईओ द्वारा नई प्रस्ताव अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरी/आईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के अनुसार अंकित पर्यवेक्षण/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाते पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरी/आईओ द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति को बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के सम्बद्धता ड्राफ्ट सत्र 2020-21 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पर्यवेक्षण का नाम	पीठरी/आईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरी/आईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग, लखनऊ	दिल्लीवा इन कार्मेली	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठरी/आईओ/पीठरी/आईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद विनिष्ठाकारी लखनऊ, संघालित विनिष्ठाकारी-2019 तथा अन्य विनिष्ठा विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारित दरों द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय शैली अनुमोदन हेतु रकम 20,000.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय कार्मेली पर्यवेक्षण हेतु 50,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पर्यवेक्षण (दो वर्षीय कार्मेली पर्यवेक्षण के अतिरिक्त) हेतु 50,000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही अन्तर्गत कार्य/आवृत्ति से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त की अतिरिक्त प्रावृत्तियों से शुल्क के सम्बद्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारवादेश प्रस्तावों को, और उद्देश्यकार कार्मेली शिक्षा

(Handwritten Signature)

जाना आवश्यक होगा। जैसा निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीछे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीछे की लचीलापन रहे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितिओं तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्तन द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों की संख्या वरदान की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समान-समय पर निर्णय सातवावस के अनुसार विद्यार्थी एवं सम्बद्धता सुलभ जन्म करना होगा।
- ✓ संस्था को 2020/21/02/02/02/02/02/02 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अविवेक/सातवावस/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उपाय, समुक्त प्राथम परीक्षा परिवर्तन, उपाय तथा प्राथमिक शिक्षा परिवर्तन, उपाय द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ जिल्लोंमा इन शर्तों की आवश्यकता की संख्या यदि पीछे जाई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षम रही है तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिवर्तन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्तन, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन को पीछे कर दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति संबंधी आवेदन विधित्त किया जाता है तो समस्त प्रविष्टि संबंधित संस्था को अपनी होगी।
- ✓ जिल्लोंमा इन शर्तों की आवश्यकता संस्थागत करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्तन, उत्तर प्रदेश अक्षमता द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्रारंभ होने के पूर्व पीछे जाई से अनुमोदन प्राप्त कर परिवर्तन करवावस को उपलब्ध करना होगा अन्तर्गत वही प्रवेश की (कार्यान्वित) के आगमन से अथवा संस्था स्तर पर सीमा प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय लचीलापन आगमन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक बुद्धिबुद्धि, उपाय, उपाय-समय, प्रकाशन, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, प्रकाशन सुलभ जन्म का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-उत्थान हेतु समुक्त प्राथमिक उत्पन्न करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित सततजन्म को भरणे वाले हेतु निर्देशक समिति को समस्त उपलब्ध कराते गये अभिलेख, बुद्धि-समय, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का भी संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और परिवर्तन की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संयोजन संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने आगमन शर्तों एवं उत्पन्न किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालनार्थक कार्यवाही की जाएगी।

(का अक्षरों सिंह)
सचिव

पुणे-0- प्राथम/परिवर्तन सम्बद्धता/2020/ 1072-3141

उद् दिनांक: 15-08-2020

प्राथमिक-प्रधानाध्यक्ष/निदेशक, पहलवान मुहम्मदुल्लाह स्मारक शिक्षण संस्थान, पनारी, लखनपुर।

(का अक्षरों सिंह)
सचिव

कार्यालय

सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

तखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/आर्योसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा बौद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उाप्र संखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान क्रिये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उा प्र संखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3376-PAHALWAN GURUDEEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,LALITPUR

क्रमसं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईएसीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईएसीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस भी नवीनतम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को उाप्र प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदिता छात्रों को ही प्रवेश दिस जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को एआईटी/पीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्बन्धित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एआईटी/पीसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनीत कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PAHALWAN GURUDEEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, LALITPUR



(सुनीत कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3378-PAHALWAN GURUDEEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PAHALWAN GURUDEEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



(एफ0आर0 खान)

सचिव